हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील आगा पक्ष उपस्थित जवाब हेतु अवसर चाहा जो दिया गया। पत्रावली वास्ते जवाब मे दिनांक 17/7/25 को पेश हो। 24/06/25	
17/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील आगापक्ष उपस्थित। जवाब हेतु अवसर चाहा गया पूर्व मे भी अवसर दिया गया है अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश होने जवाब मे दिनांक 29/7/25 को पेश हो। 17/07/25	
29/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश आदिश दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य मे दिनांक 14.8.25 को पेश हो। 29/07/25	
14/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं साक्ष्य वादी मे वादीया केसर बाई एवं गवाह हरीश एवं नरेश के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के पेश हुए जिस पर वादिया के एवं गवाह के बयान कराये गये [illegible] वादी और साक्ष्य पेश करना चाहते है। साक्ष्य वादीगण [illegible] वकील वादी ने बहस मे बयान किया कि वाद पत्र मे वर्णित वादीगण मृतक शंकर लाल के वारिस है। प्रतिवादी संख्या -1 ने अपने नाम पर [illegible] खुलवाते हुए अपने वारिसान के 14/08/25 उपखण्ड अधिकारी डूंगला	केसर हरीश तेली नि.नं.2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.08.26 15:17:47 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	[illegible]	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के नाम अंकित कराये गये है जिसको हटाये जाकर डिक्री पारित कर वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में लगाये जाने का आदेश पारित किया जावे। वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन कर परीक्षण किया गया तत्पश्चात पाया गया कि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 188 मे वर्णित वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पारिवारिक सजरा के अनुसार स्वर्गीय शंकर लाल के वारिस गोकुलाल पुत्र एवं पुत्रियाँ कमला केसर कमला नारायणी मंजू इन्द्रा गानीबाई पत्नी है। इस स्वर्गीय शंकर लाल के एक पुत्र 5 पुत्रियाँ एवं पत्नी उत्तराधिकार वारिस है। वाद पत्र मे वर्णित कलुडी सुन्दर नानी जो कि गोकुलाल के वारिस होकर पुत्रियाँ है। ग्राम चिकारडा के नामान्तरण संख्या 2823 के द्वारा स्व. शंकर लाल के विरासत का नामान्तरण खोलते हुए मृतक के वारिस पुत्रियो के बजाय प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी पुत्रियाँ के नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकित करा दिये गये है। जिसकारण वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे उनका नाम दर्ज होकर चला आ रहा है। जो सही है। इसलिए ग्राम चिकारडा के खाता संख्या 516 मे वर्णित आराजी किता 6 कुल रकबा 2.2640 हेक्टेयर भूमि एवं खाता सं. 526 मे वर्णित भूमि मे स्व. शंकर लाल की विरासत मे कलुडी नानी व सुन्दर का नाम लगाया गया है जिसको हटाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-1 के साथ गानी बाई नाम की संयुक्त खातेदारी की घोषणा की जाती है। स्वर्गीय शंकर लाल के वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व श्रीमती गानी बाई वारिस उत्तराधिकार होकर प्रत्येक का 1/7, 1/7 हक हिस्सा की घोषणा की जाती है। खाता संख्या 526 मे स्व. शंकर लाल [illegible] 1/2 हिस्सा होने से प्रत्येक वादीगण [illegible] हिस्सा की घोषणा की जाती है। प्रतिवादी सं. 2 से 5 तक वादग्रस्त आराजी मे गलत दर्शाते हुए इन्तकाल खोला गया है उसके आधार पर आराजियात को स्थानान्तरण नहीं करे अन्य को कब्जा नहीं देवे। निर्णय सुनाया गया डिक्री पर्चा मुताबिक हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी,
डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.08.26 15:17:47 IST
Reason: SelfAttested